## विकसित बिहार के 7 निश्चय

# बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना

- इस योजना के अन्तर्गत 12वीं उत्तीर्ण (Polytechnic के लिए 10वीं) बिहार राज्य के विद्यार्थियों को उनकी आगे की शिक्षा जारी रखने हेतु 4 लाख रुपये तक की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
- राज्य सरकार के द्वारा स्थापित बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से ऋण राशि का भुगतान किया जाता है।
- विद्यार्थियों को रहने, जीवन–यापन के लिए निर्धारित राशि के अतिरिक्त पाठ्य–पुस्तक, पठन–लेखन सामग्री क्रय के लिए 10,000/– प्रतिवर्ष तथा तकनीकी पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए 35,000/– रुपये तक लैपटॉप क्रय करने का प्रावधान है।
- आवेदन करने की तिथि को आवेदक की अधिकतम उम्र सीमा 25 वर्ष जबकि स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम के लिए 30 वर्ष निर्धारित है।
- प्रमुख तकनीकी, व्यवसायिक एवं सामान्य पाठयक्रम के अलावा Polytechnic एवं ITI पाठ्यक्रम के लिए भी उपलब्ध है।
- 4 प्रतिशत सरल ब्याज दर (महिला, दिव्यांग एवं ट्रांस्जेन्डर आवेदकों के लिए केवल 1 प्रतिशत)। Moratorium अवधि तक ब्याज देय नहीं अर्थात ब्याज की गणना का प्रावधान नहीं ।
- ऋण वापसी की प्रक्रिया बेहद सरल एवं सुविधापूर्ण। आय नहीं होने की स्थिति में वापसी की प्रक्रिया स्थगित (अधिकतम 3 वर्ष तक)। समय से पूर्व राशि वापसी पर छूट का प्रावधान।
- इस योजना का लाभ सभी वर्ग, जाति, कोटि, लिंग, धर्म एवं आय–समूह प्राप्त कर सकते है। साथ ही पाठ्यक्रम अवधि के बीच में भी इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
- कुशल युवा कार्यक्रम योजना के लाभार्थी भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।

**नोट :– उपर्युक्त से संबंधित सूचना MNSSBY Portal एवं शिक्षा विभाग के website - state.bihar.gov.in पर भी उपलब्ध है।**

**Email Id- spmubscc@bihar.gov.in | Ph. No.- 0612-2230059**